**राजस्थान सरकार**
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**
**(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक प.12(2) राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक: 04/04/23

1. **समस्त स्थायी अधिवक्ता/पेनल लॉयर्स, वाणिज्यिक न्यायालय।**
2. **स्थायी अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण।**
3. **समस्त राजकीय अभिभाषक, अधिनस्थ न्यायालय।**

**:: परिपत्र ::**

दिनांक 14.03.2023 को मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में यह बिन्दु संज्ञान में आया कि वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरूद्ध अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं की जा रही है, जिसे मुख्य सचिव महोदया द्वारा गम्भीरता से लिया गया एवं यह निर्देश दिये गये हैं कि वाणिज्यिक न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त स्थायी अधिवक्ता/पैनल लॉयर्स प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने के पश्चात अविलम्ब निर्णय की सत्यप्रति प्राप्त कर, अपील/नो–अपील के सम्बन्ध में अपनी विधिक राय सहित पत्रावली सम्बन्धित विभाग/प्रकरण प्रभारी को उपलब्ध करायेंगे तथा सम्बन्धित विभाग अविलम्ब अपील /नो–अपील के सम्बन्ध में निर्णय लेवें, जिससे अपील समयावधि में ही प्रस्तुत की जा सके और राज्य सरकार के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं आवे।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
**शासन सचिव,विधि**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव,राज0सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,विधि।
3. निजी सचिव, समस्त अति0मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष।
4. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राज0जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/कौंसिल्स, जयपुर/जोधपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

4/4/23
**शासन सचिव,विधि**